

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)**

- 5.1 A proposal has been received by this office from Government Medical College Haldwani, District Nainital Uttarakhand (Department of Medical Education Uttarakhand) for diversion under FCA-1980) of 4.25 hectare of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of State Cancer Institute & associated buildings at Government Medical College Haldwani Distt Nainital .The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated:- ...02/01/2021.
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 4.25 ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-
- 5.5 Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-
- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.
- Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place:-.....HALDWANI.....
Date.....02/01/2021.....

(Signature)

Name.....प्रभागीय वनाधिकारी,
Designation तराई क्षेत्रीय वन प्रभाग,
Office Seal ..बुटवल, कपिलवस्तु

N.B. State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted. out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रपत्र-2.1

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना हेतु 4.25 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा का हस्तान्तरण।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

उत्तराखण्ड

ii) जिला

नैनीताल

iii) वन प्रभाग

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4.25 हे0 आरक्षित वन भूमि।

v) वन की कानूनी स्थिति

आरक्षित वन भूमि।

vi) हरियाली का घनत्व

10% से 40%

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए

संलग्न है।

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

शून्य।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

शून्य।

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)

नहीं।

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

नहीं।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

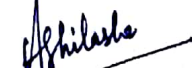
नहीं।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

हाँ।


प्रधानीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। नहीं।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। संलग्न है।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिब्यय। संलग्न है।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। संलग्न है।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र। नैनीताल 3422.00 वर्ग कि०मी०
 - जिला का वन क्षेत्र। प्रभाग का वन क्षेत्र 22719.63 हे०
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में 8 मामलों में 9.623 हे०
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि 252.49 हे० रिक्त
 - वनेत्तर भूमि परतक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति 18.29 हे० + 2.5 रोड़ कि०मी०
 - वन भूमि पर 240.72 हे० प्रतिपूरक वनीकरण अन्य वन प्रभागों द्वारा किया गया है।
 - वनेत्तर भूमि पर


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
 रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

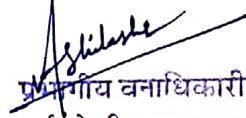
13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना हेतु की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हे० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन) को किये जाने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 02/01/2021

स्थान: हल्द्वानी।

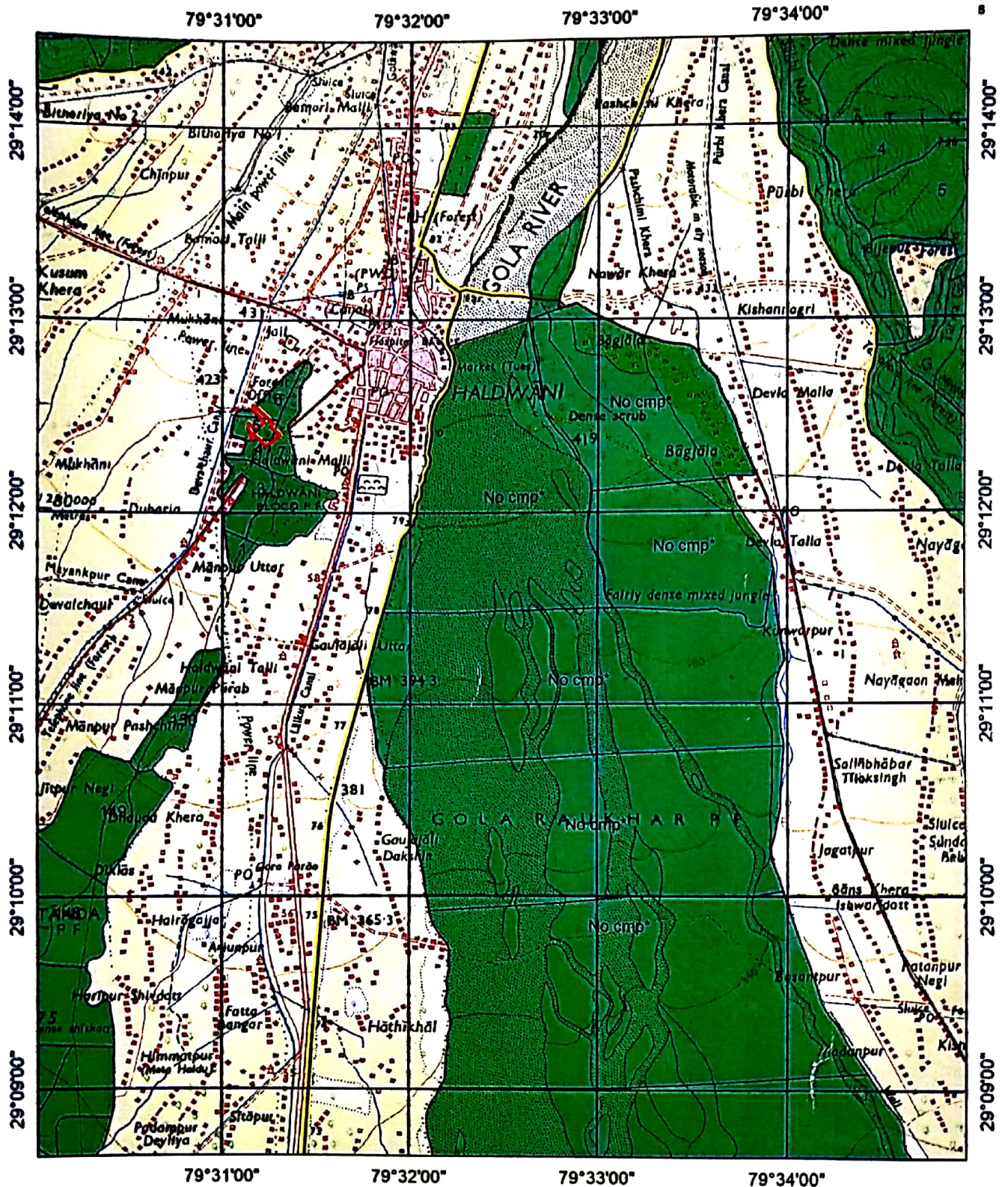
हस्ताक्षर



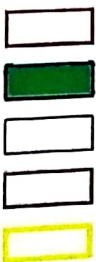
नाम

प्रभारी वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर
सरकारी मोहर

डिजिटल मैप: राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत संचालित स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय विस्तारीकरण राज्य कैंसर संस्थान तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने 4.25 हे० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव।



Legend



Proposed_Land

Reserve Forest Area

Reserve Forest Area

Range_Boundary

Division_Boundary

राजकीय मेडिकल कॉलेज

हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

दीपक टम्टा प्रभागीय वनाधिकारी,

राजस्व उप निरीक्षक तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,

क्षेत्र ६०५८-१/१५५ रुद्रपुर, उधमसिंहनगर

तहसील ६०५८-१/१५५

जिलाधिकारी
नैनीताल

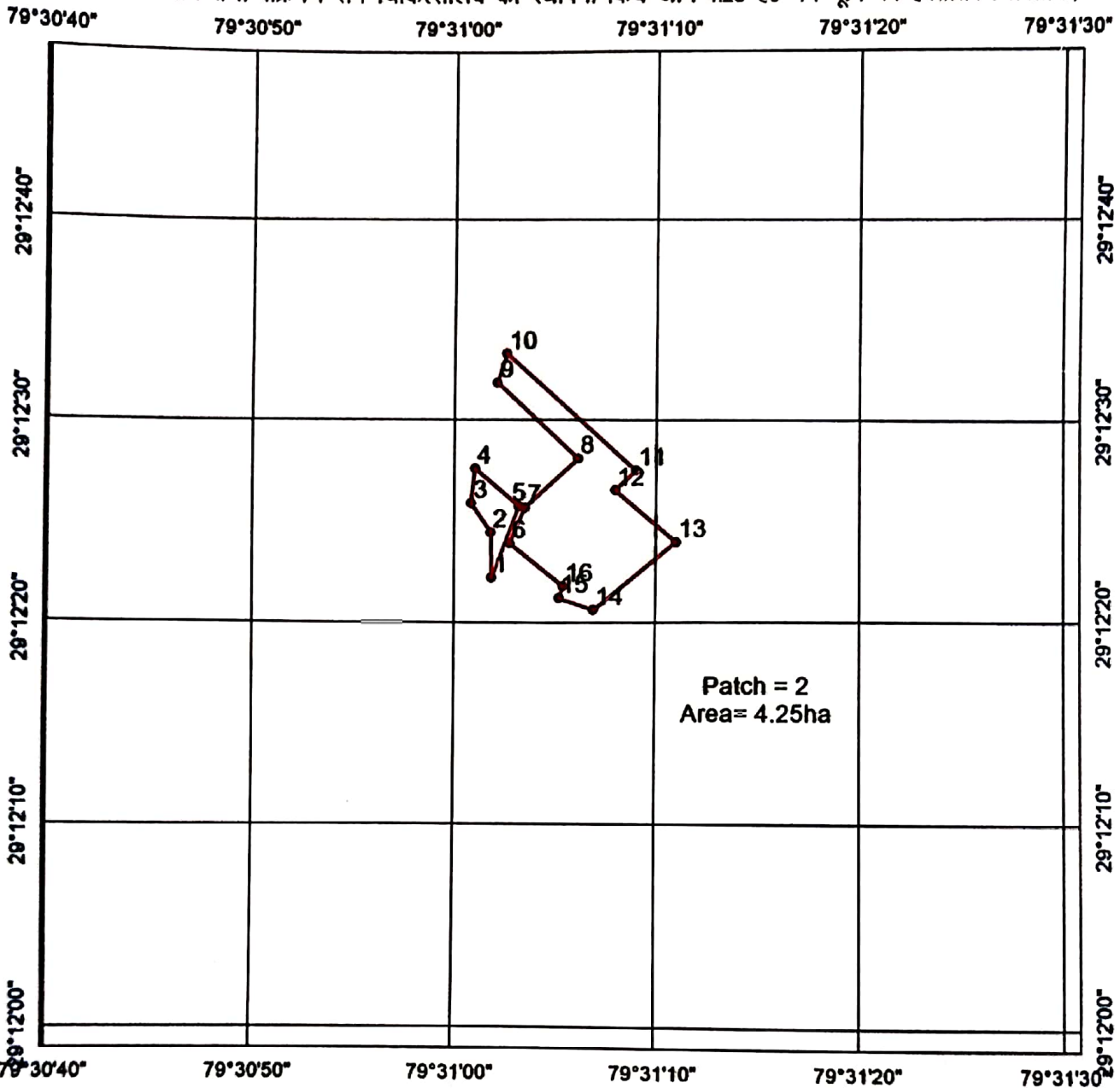
तहसीलदार,
हल्द्वानी (नैनीताल)

१४.१२.२०
६०५८-१/१५५

उप निरीक्षक
फुलारी (दंडोवावा)

Prepared by:- CFD, UFTA, Haldwani

जियो रेफरेंस मैप: राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत संचालित स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय विस्तारीकरण राज्य कैंसर संस्थान तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने 4.25 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव।



Legend

- GPS_Points
- Proposed_Land



ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	79°31'1.87"E	29°12'22.22"N	9	79°31'2.11"E	29°12'31.85"N
2	79°31'1.82"E	29°12'24.44"N	10	79°31'2.58"E	29°12'33.29"N
3	79°31'0.84"E	29°12'25.88"N	11	79°31'9.00"E	29°12'27.50"N
4	79°31'1.03"E	29°12'27.58"N	12	79°31'7.97"E	29°12'26.52"N
5	79°31'3.21"E	29°12'25.73"N	13	79°31'11.00"E	29°12'23.96"N
6	79°31'2.76"E	29°12'23.91"N	14	79°31'6.94"E	29°12'20.63"N
7	79°31'3.53"E	29°12'25.66"N	15	79°31'5.22"E	29°12'21.22"N
8	79°31'6.13"E	29°12'28.09"N	16	79°31'5.43"E	29°12'21.80"N

प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
हल्द्वानी (नेनीताल) उत्तराखण्ड

प्रभारी वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

Prepared by:- CFD, UFTA, Haldwani

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल क विधानसभा हल्द्वानी में तल्ली हल्द्वानी प्लॉट संख्या 4 में स्वामी राम कैंसर अनुसंधान की स्थापना हेतु निर्माण कार्य।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक.....को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित वृक्ष

क्र०सं०	वन ब्लाक/कम्पार्टमें ट का नाम	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										कुल वृक्ष	आयतन (घ० मी०)	वृक्षों का मूल्य			
				10-20	20-30		30-40		40-50		50-60		60-70				70-80	80-90	90 से ऊपर
1	टाण्डा वन ब्लाक प्लाट संख्या 150	सागीन हरा	टेक्टोना ग्रडिस	4	44		28		14		3		0	1	0	1	95	67.704	2207506.00
2		सागीन सूखा	टेक्टोना ग्रडिस	0	0		1		0		0		0	0	0	0	1	0.639	15716.00
3		कच्जू	होलोपेटेलिया इन्ट्रिफोलिय I	0	0		0		0		0		1	0	0	0	1	2.549	16528.00
4		बर्कन	मेलिया अजेडाराक	0	0		0		1		0		0	0	0	0	1	1.104	1526.00
5		शीशम	डालबरजिया सिसू	0	1		2		0		2		3	0	0	0	8	12.768	459096.00
6		जकरेण्डा	जकरेण्डा निमोसीपोलिया	0	0		0		1		0		0	0	0	0	1	1.104	1526.00
क्र०सं०	टाण्डा वन ब्लाक प्लाट संख्या 150	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80			
01		यूकेलिप्टस हरा	यूकेलिप्टस हाईब्रिड	3	19	47	25	42	33	37	14	07	02	05	01	01	236	273.772	814842.00
02		यूकेलिप्टस सूखा	यूकेलिप्टस हाईब्रिड	0	01	0	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.563	6047.00
कुल योग																	347	-	2701898.00

वन विभाग
हल्द्वानी वन क्षेत्र

वन विभाग, नैनीताल

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी में तल्ली हल्द्वानी प्लाट संख्या 4 में स्वामी राम कैंसर अनुसंधान की स्थापना हेतु निर्माण कार्य।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-टाण्डा ब्लाक

क्षेत्रफल = 4.25 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :-4250 पौध

कार्य का नाम :- स्वामी राम कैंसर अनुसंधान की स्थापना हेतु 4.25 है० हस्तान्तरण हेतु टाण्डा ब्लाक या आसपास के रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

क्र०स०	कार्य का नाम	ईकाई	क्षेत्रफल (है० में)	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमा निर्धारण	प्रति है०	4.25	100.00	425.00
2	क्षेत्र की सफाई व झाड़ी कटान।	प्रति है०	4.25	8924.00	37927.00
3	पौध की कीमत	पौध	4.25	8280.000	35190.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेंसिंग) तार फेंसिंग सम्पूर्ण व्यय	प्रति है०	4.25	22702.00	96483.50
	गड्ढा भरण (0.45 X 0.45 x 0.45)	प्रति है०	4.25	1240.000	5270.00
6	पौधारोपण	प्रति है०	4.25	3098.00	13166.50
7	पौध दुलान- 20 कि०मी० से अधिक।	प्रति है०	4.25	3740.00	15895.00
8	निराई				
	प्रथम	प्रति है०	4.25	2436.00	10353.00
	द्वितीय	प्रति है०	4.25	1948.00	8279.00
	तृतीय	प्रति है०	4.25	1218.00	5176.50
9	वृक्षारोपण उपरान्त झाड़ी कटान एवं क्षेत्र की सफाई कार्य	प्रति है०	4.25	1853.00	7875.25
10	मोटर मार्ग पर व्यय बरसात बाद	प्रति है०	4.25	553.00	2350.25
11	कर्मचारियों व श्रमिकों के लिये छप्पर	प्रति है०	4.25	664.00	2822.00
12	पानी का प्रबन्ध	प्रति है०	4.25	221.00	939.25
13	संकेत पट	प्रति है०	4.25	77.00	327.25
14	तारवाड के बाहर आग लगाई सफाई	प्रति है०	4.25	195.00	828.75
15	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (08 माह)	प्रति है०	4.25	7307.00	31054.75
16	श्रमिकों के लिये दवा आदि।	प्रति है०	4.25	53.00	225.25
17	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रखरखाव, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रखरखाव, ईंधन व नर्सरी का सुदृढीकरण आदि)	प्रति है०	4.25	5778.00	24556.50
योग					299144.75

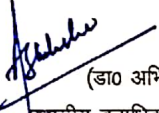
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

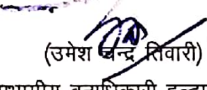
1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12माह)	प्रति है०	4.25	10960.00	46580.00
2	निराई एवं गुड़ाई	प्रति है०	4.25	1948.00	8279.00
3	पट्टों की घास दबाने हेतु जुताई कार्य (4 मी० पट्टी साफ करना)	प्रति है०	4.25	1853.00	7875.25
4	तारवाड के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है०	4.25	215.00	913.75
5	तारवाड मरम्मत	प्रति है०	4.25	276.00	1173.00
6	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है०	4.25	766.00	3255.50
योग					68076.50

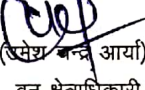
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

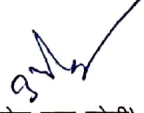
1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12माह)	प्रति है0	4.25	10960.00	46580.00
2	निराई एवं गुड़ाई	प्रति है0	4.25	1948.00	8279.00
3	पट्टों को घास दबाने हेतु जुताई कार्य (4 मो0 पट्टी साफ करना)	प्रति है0	4.25	1853.00	7875.25
4	तारवाड के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	4.25	215.00	913.75
5	तारवाड मरम्मत	प्रति है0	4.25	276.00	1173.00
6	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	4.25	154.00	654.50
योग					65475.50
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष से दशम वर्ष तक का रखरखाव					
1	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव	प्रति है0	4.25	16947.00	72024.75
2	वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव	प्रति है1	4.25	18642.00	79228.50
3	वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव	प्रति है2	4.25	20506.00	87150.50
4	वृक्षारोपण का सप्तम वर्ष का रख-रखाव	प्रति है3	4.25	22557.00	95867.25
5	वृक्षारोपण का अष्टम वर्ष का रख-रखाव	प्रति है4	4.25	24813.00	105455.25
6	वृक्षारोपण का नवम वर्ष का रख-रखाव	प्रति है5	4.25	27294.00	115999.50
7	वृक्षारोपण का दशम वर्ष का रख-रखाव	प्रति है6	4.25	30023.00	127597.75
सम्पूर्ण योग					1116020.25

नोट :- वृक्षारोपण उपरान्त दो वर्ष तक अनुरक्षण हेतु वृत्त स्तर से दरें निर्धारित है इसके उपरान्त प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये धनराशि का आकलन किया गया है।


(डा0 अमिलाषा सिंह)
प्रभुभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी।
रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर


(उमेश चन्द्र तिवारी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी।


(उमेश चन्द्र आर्या)
वन क्षेत्राधिकारी,
हल्द्वानी वन क्षेत्र।
वन विभाग, हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी


(उमेश चन्द्र जोशी)
अनुभाग अधिकारी, तल्ली हल्द्वानी
हल्द्वानी वन क्षेत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

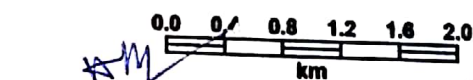
1. ईको-क्लास श्रेणी :- III
2. हरियाली का घनत्व :- 10 से 40 प्रतिशत
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 :- 8.03 लाख
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल :- 4.25 हेक्टेयर
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि :- 34.13 लाख

ह0/- 
प्रभागीय वन अधिकारी
तराई केनाय वन प्रभाग,
रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर



Legend

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | Proposed_Land |
|  | Reserve Forest Area |
|  | Reserve Forest Boundary |
|  | Range_Boundary |
|  | Division_Boundary |



७५ प्रमाणाय बलाधिकारी

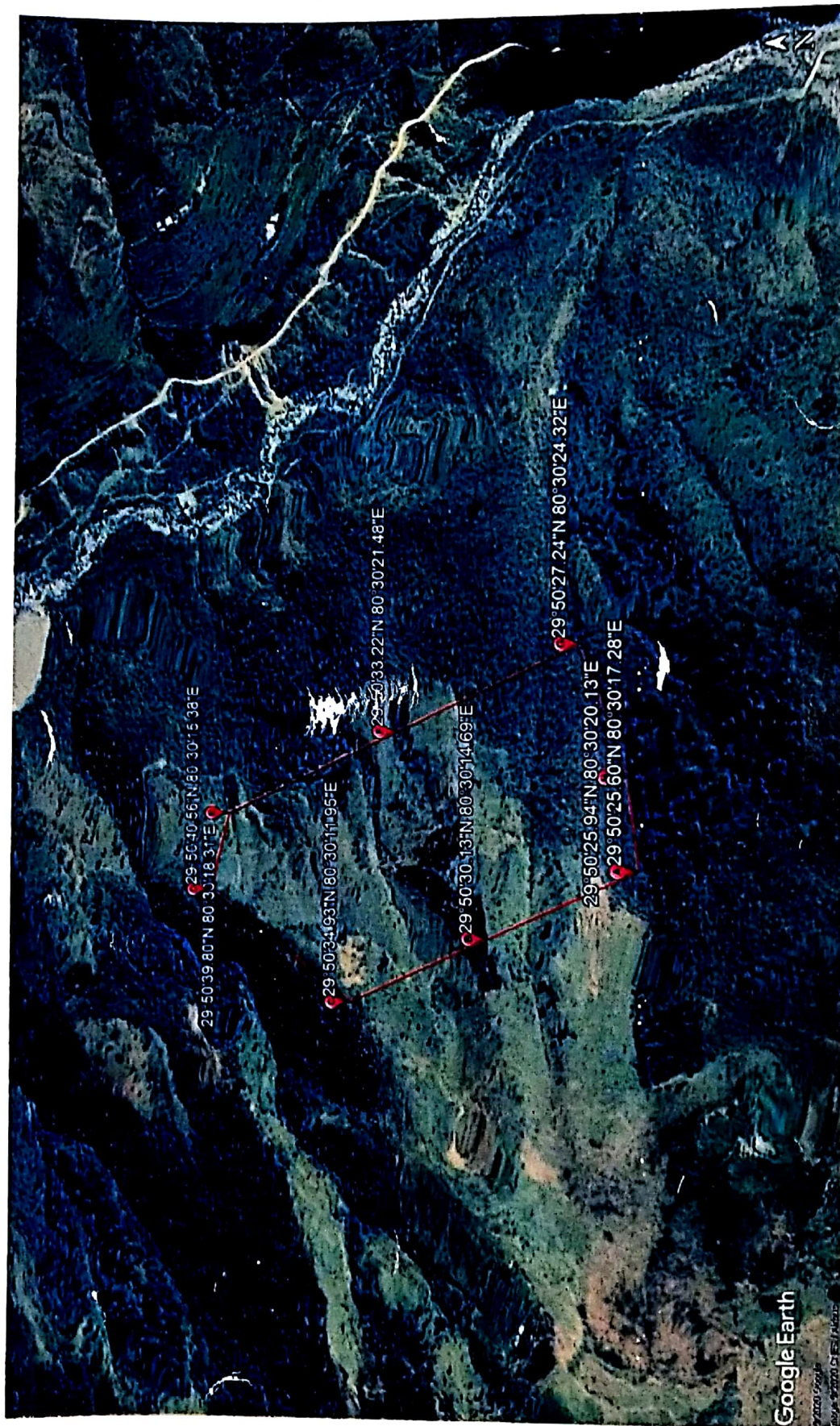
ਭਾਗ ੧

विद्योदायक वचन प्रकाश

वन क्षेत्राधिकारी

अल्कोट।

गूगल मैप- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के अधीन संचालित स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान का विस्तारिकरण कर 'राज्य कैंसर संस्थान' एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल।




डॉ. अनांद कुमार
 बतौर
 अध्यक्ष


डॉ. अनांद कुमार
 बतौर
 अध्यक्ष

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-नैनीताल स्थित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" एवं "संक्रमण रोग चिकित्सालय" की स्थापना में प्रयुक्त होने वाली 4.25 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित जिला- पिथौरागढ़ के ग्राम- रमतोली में 8.50 हेक्टेयर सिविल वन भूमि वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

H0/
प्रभारी वन अधिकारी
पिथौरागढ़